

## उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र० मुरादाबाद मुरादाबाद 251350030101149 042253029547

> प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री माता का नाम


निवासी

ग्राम तहसील जिला नीरज कुमार/Neeraj Kumar ओमप्रकाश सैनी

राधा सैनी ,नजदीक डिप्टी साहब का अस्पताल महबुल्ला गंज

कटघर मुरादाबाद

मुरादाबाद मुरादाबाद



यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **नीरज कुमार/Neeraj Kumar** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।





सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित मुरादाबाद,मुरादाबाद दिनॉक: 31/08/2025

जारी दिनांक: 31/08/2025

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।